# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 26/2017

**उनवान**

1. रोशन आरा पत्नी मोहम्मद अहमद जाति मुसलमान निवासी 58, अशोक मार्ग, आनासागर लिंक रोड, अजमेर।

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. रामसिंह,
2. कमला,
3. सरोज,
4. नोरती पि0 स्व. छीतर
5. देवीसिंह,
6. रामा पि0 गोपी सिंह
7. भागचन्द पि0 मंगला समस्त जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेड़ा, नसीराबाद
8. मैनेजर, यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया, शाखा भवानीखेडा, नसीराबाद
9. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–1 से 8 अनुपस्थित 9 जरिये राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

---

–: निर्णय :– दिनांक :– 30.7.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडाकी निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की है :–

| वंर्किग खसरा नम्बर | रकबा | हाल खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|---|
| 2745 | 5–9–0 | 2975 | 0.29 |
| | | 2976 | 0.74 |
| | | 2977 | 0.13 |
| | | 2978 | 0.04 |
| | | 2981 | 0.06 |
| | | 2982 | 0.09 |

ग्राम भवानीखेडा के वंर्किग खस[illegible] 5–9–0 में से 2–0–0 भूमि वादी के द्वारा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 06.0[illegible]94 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज छीतर व प्रतिवादी संख्या 7 [illegible] आराजी मुतनाजा पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र की [illegible] में नामान्तकरण [illegible]47 दिनांक 09.08.1994 द्वारा वादी का नाम वंकिंग जमाबंदी में [illegible]कित किया गया। कि[illegible]ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:45 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बंदोबस्त आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी व नामान्तकरण संख्या 503 दिनांक 20.03.2015 से प्रतिवादी संख्या 8 के नाम रहन दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा में से 2–0–0 भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 बावजुद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा वादी रोशनआरा का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम भवानीखेडा के वंर्किग खसरा नम्बर 2745 रकबा 5–9–0 में से 2–0–0 भूमि वादी के द्वारा जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 06.05.1994 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज छीतर व प्रतिवादी संख्या 7 के पिता मंगला से कय कर आराजी मुतनाजा पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त विकय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 09.08.1994 द्वारा वादी का नाम वंर्किग जमाबंदी में अंकित किया गया। किन्तु आराजी मुतनाजा दोराने बंदोबस्त हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी व नामान्तकरण संख्या 503 दिनांक 20.03.2015 से प्रतिवादी संख्या 8 के नाम रहन दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा में से 2–0–0 भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार वादी ने कुल रकबा 5–9–0 में से आंशिक 2–0–0 रकबा ही कय किया है। वंर्किग खसरा नम्बर 2745 के कई हाल खसरा नम्बर बने है। वादी के शपथ पत्र में वादी ने हाल खसरा नम्बर 2976 में से खातेदारी चाही है। हाल खसरा नम्बर 2976, 2978, 2981, 2982 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हैं। तत्कालीन खातेदार छीतर पुत्र बाला व मंगला पुत्र घीसा ने आराजी मुतनाजा प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान की है। विक्रेता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 प्रकरण मे उपस्थित नही है। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व विकय पत्र कय की है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। विकय पत्र की पालना पूर्व राजस्व अभिलेख में की जा चुकी है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है। विक्रेता के वारिसप्रतिवादी संख्या 7 ने उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 8 से ऋण प्राप्त किया है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 7 के पिता द्वारा उक्त आराजी का बेचान पूर्व में ही कर दिया था। अतः आराजी मुतनाजा पर बैंक ऋण का इन्द्राज वादी के हितों पर अप्रभावित है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी हाल खसरा नम्बर 2976 रकबा 0.42 में से 0.32 आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2976 रकबा 0.42 में से 0.32 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी संख्या को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त [illegible] अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं व[illegible] कर[illegible]स आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

*डिक्री व मुकदमें इब्ताई*
*न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद*

**उनवान**

रोशन आरा बनाम राम सिंह

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 26/2017
पेश करने की दिनांक – 15.02.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2976 रकबा 0.42 में से 0.32 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी संख्या को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 7 सन् **2024** को जारी की गयी।

---

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | स्टाम्प वकालतनामा |
| स्टाम्प वकालतनामा | स्टाम्प अरजी |
| स्टाम्प वजह सबूत | मेहनताना वकील |
| मेहनताना वकील | खर्चा गवाहान |
| फीस कमिश्नर | फीस कमिश्नर |
| खर्चा गवाहान | बाबत् इजराय हुक्मनामा |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | मुतफरिक |
| मुतफरिक | |
| मिजान | मिजान |

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद